



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1849 / SEIAA/2022

Date: 18/10/22

प्रति,

मेसर्स सतगुरु सिमेंट प्रा. लि.
संचालक श्री राजेश बंशल,
निवासी 601/1 एरन हाइटस सी-21 माल -
-के सामने जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय:-प्रकरण क्र 7544/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरु सिमेंट प्रा. लि. संचालक श्री राजेश बंशल, निवासी 601/1 एरन हाइटस सी-21 माल के सामने जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा लाइम स्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 332448 टन प्रतिवर्ष, रकबा 58.431 हेक्टेयर, खसरा 111/2-8, 126, 137/2, 133, 141/1, 144,146/2 भाग ग्राम खोद, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 750 वी बैठक दिनांक 13.10.2022 पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 46 पेड़ लगे हैं जिसमें से 20 पेड़ों को काटा जायेगा एवं उसके एवजू 200 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

Q

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

9/c

8